सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
प्रत्यायुक्त विधान समिति

आवास :
● एफ. टाईप, आवास सं०-1, ए.जी. मोड़, डोरण्डा, राँची - 834002
मोबाईल नं. : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : 509/JSR/25 दिनांक : 14/08/2025

सेवा में,
माननीय वित्त मंत्री,
झारखंड सरकार।

विषयः झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, प्रमंडलों एवं जिलों में राज्य की समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत मद की विभिन्न योजनाओं के लिए निकाली गई राशि में से जो राशि खर्च नहीं हुई, उसे लंबे समय से बैंकों में रखे जाने के संबंध में।

महाशय,
आप अवगत होंगे कि उपरोक्त विषय में अवव्हत रासि को वापस समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, इन राशियों के मद में बैंक खातों में उपार्जित ब्याज के राशि को भी वापस समेकित निधि में जमा किया जाना है। इस विषय में राज्य के प्रधान महालेखाकार का स्पष्ट निर्देश भी है। ऐसा नहीं किया जाना वित्तीय अनुशासन के विरुद्ध है।

राज्य में विभिन्न विभागों, प्रमंडलों एवं जिलों में, खास कर कार्य विभागों में खर्च नहीं हो सकी राशि के आंकड़े सिविल डिपोजिट, पीएल खाता एवं लोकलेखा के विभिन्न शीर्षों में स्पष्ट रुप से परिलक्षित हो रहे हैं। वित्त विभाग ने पत्रांक 492, दिनांक 24–12–2014 के द्वारा बैंकों में रक्षित एवं अव्यवहृत राशि को संबंधित विभाग के राजस्व शीर्ष के मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष की जो निधि खर्च नहीं हो सकी है और बैंकों में रखी गई है उसे समेकित निधि में जमा करने का पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि जो राशि बैंकों से निकाल कर समेकित निधि में जमा की जा रही है, वह राशि स्थापना व्यय की है या राज्य योजना, केंद्रीय योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के राज्यांश की है या केंद्रांश की राशि है।

विगत 09–07–2020 तथा दिनांक 11–02–2022 को प्रधान महालेखाकार, झारखंड ने इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। तदुपरांत राज्य सरकार के वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच में विचार विमर्श हुआ और बैंकों में पड़ी हुई अव्यवहृत राशि को राजकोष में जमा करने की स्पष्ट व्यवस्था की गई। तदनुसार, व्यवस्था बनाई गई कि बैंक खातों में जमा राज्सव मद की राशि अथवा अवशेष राशि जहां से यह राशि प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम एवं शीर्ष के अनुसार यह राशि समेकित निधि में जमा की जाएगी। इसमें स्थापना मद की राशि राज्य योजना मद की राशि, केंद्रीय क्षेत्र

योजना मद की राशि तथा केंद्र प्रायोजित योजना राशि का राज्यांश और केंद्रांश मदों में यदि अधिक या अनेपक्षित निकासी की गई है अथवा निकासी के बाद जो राशि खर्च नहीं हो पाई है, उनको इन्हीं शीर्षों के उप शीर्षों के अनुसार समेकित निधि में जमा किया जाना है।

इसी तरह पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत भी स्थापना मद, राज्य योजना मद, केंद्र योजना मद और केंद्र प्रायोजित योजना मद के राज्यांश एवं केंद्रांश को भी पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियों तथा वसूलियों के उप शीर्ष में समेकित निधि में जमा किया जाएगा। यदि बैंक खातों में जमा पड़ी राशि किस विभाग की है, यह जानकारी तो है परंतु निकासी शीर्ष की जानकारी नहीं है तो उसे संबंधित विभागों के राजस्व व्यय के मुख्य शीर्ष एवं उप मुक्य शीर्ष में वापस किया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बैंक खातों में जमा राशि किस विभाग की है और किस शीर्ष की है, इन दोनों की ज़ानकारी नहीं है तो विभिन्न विभागों की ऐसी राशियों को मुख्य शीर्ष विविध सामान्य सेवाएं एवं उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष की अधिक अदायगियों की वसूलियां शीर्ष में ऐसी राशियों को समेकित निधि में जमा किया जाएगा। महालेखाकार और राज्य सरकार के बीच हुए विचार विमर्श में यह निर्णय भी लिया गया कि विभिन्न विभागों के द्वारा बैंक खातों में जमा राशियों के विरुद्ध उपार्जिंज व्यय को ब्याज को भी समेकित निधि के मुख्य शीर्ष, ब्याज प्राप्तियां, उप मुख्य शीर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज एवं लघु शीर्ष अव्यतित शेष पर गारंटियों से ब्याज एवं अन्य आय तथा उपशीर्ष बैंक खातों में उपार्जित ब्याज में जमा किया जाएगा।

महाशय, महालेखाकार एवं राज्य सरकार के बीच विचार विमर्श से बनाई गई उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है। इसके अनुसार, बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशियों को राज्य की समेकित निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस आशय का निर्देश दिनांक 01–04–2022 से प्रभावी है परंतु इसके बावजूद आज भी विभिन्न विभागों, प्रमंडलों एवं जिलों में काफी बड़ी राशि बैंकों में जमा है। साथ ही सिविल डिपोजिट, पीएल खाता तथा लोकलेखा के भिन्न शीर्षों में भी खर्च नहीं की गई राशियां जमा हैं जो अरबों में हैं।

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में आप विभिन्न बैंकों में विभागों, प्रमंडलों एवं जिलों द्वारा जमा की गई राशियों को अविलंब राज्य की समेकित निधि में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि राज्य में वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जा सके।

सधन्यवाद,

भवदीय

(सरयू राय)